

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
DEPARTMENT OF FOOD, SUPPLY & CONSUMER AFFAIRS
K-BLOCK, VIKAS BHAWAN, I.P. ESTATE, NEW DELH

No. F.2 (02)/DLA/F&S/P&C/2019/ 1172-1173

Dated. 02.12.2019

To,

✓ The Dy.Secretary,(Question Branch)
Delhi Legislative Assembly
Old Secretariat, Delhi- 110054.

Sub:- Delhi Legislative Assembly Starred Question No. 29 asked by Sh.Prakash Jarwal,MLA due for answer on 03.12.2019

Sir,

With reference to above cited subject, I am directed to forward herewith 100 copies of reply of the above question duly authenticated by the Competent Authority.

Encl:- As above.

Yours faithfully

DJS
2-12-19

(DESHRAJ SINGH)
ASSTT.COMMISSIONER (F&S)

No. F.2 (02)/DLA/F&S/P&C/2019/

Dated.

Copy forwarded to :-

1. The Director, Directorate of Information and Publicity, Government of NCT of Delhi, Old Secretariat, Delhi along with 150 copies of the reply of above referred DLA Starred question of distribution of the House.

DJS

(DESHRAJ SINGH)
ASSTT.COMMISSIONER (F&S)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र:दिल्ली सरकार,
खाद्य, संभरण एवं उपभोक्ता कार्यकलाप विभाग,
के-ब्लॉक, विकास भवन, आई.पी.एस्टेट, नई दिल्ली-110002 ।

तारांकित प्रश्न संख्या :- 29

दिनांक :- 03/12/2019

प्रश्नकर्ता का नाम :- श्री प्रकाश जारवाल

क्या माननीय खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

प्रश्न	उत्तर
क) देवली विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2013 से राशनकार्ड के लंबित आवेदनों का विवरण और उनके लंबित रहने के कारण;	देवली विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2013 से राशन कार्डों के लंबित आवेदनों की संख्या 6025 है । राष्ट्रीय खाद्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा दिल्ली राज्य को 72,77,995 राशन कार्ड लाभार्थी बनाने की सीमा निर्धारित की थी । वर्तमान में पहले आओ पहले पाओ के आधार पर राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया सतत है ।
ख) राशन कार्ड जारी किए जाने की प्रक्रिया को त्वरित और सरल बनाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का विवरण; और	दिल्ली में राशन कार्ड जारी करने हेतु सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत लाभार्थियों का विवरण पूर्ण रूप से कम्प्यूटरराइज्ड है । 1. राशन कार्ड जारी करने के लिए राशन कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम एन.आई.सी. द्वारा बनाया गया है । 2. दिल्ली सरकार द्वारा लागू की गई डोर स्टेप डिलीवरी सेवा द्वारा प्रार्थी मोबाइल सहायकों द्वारा प्रार्थना-पत्र प्राप्त कर ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से ऑन-लाइन आवेदन कर सकता है तथा प्रार्थी अपना राशन-कार्ड एन.एफ.एस पोर्टल से प्राप्त कर सकता है । 3. विभाग द्वारा लागू पहले आओ पहले पाओ की योजना के अंतर्गत इस प्रक्रिया को और भी सरल बनाया गया है । 4. डीजीआरओ द्वारा भेजे गए मामलों को भी प्राथमिकता दी जाती है ।
ग) देवली विधानसभा क्षेत्र में राशनकार्ड धारकों की कुल संख्या ?	देवली विधानसभा क्षेत्र में राशनकार्डों की संख्या 35,130 है ।

DS 2.12.2019

Asstt. Commissioner
Department of Food Supplies & Consumer Affairs
Govt. of NCT of Delhi
K-Block, Vikas Bhawan, New Delhi-110002